संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (4)3–10/2019 **अति आवश्यक/समयवद्ध**
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, **अति महत्वपूर्ण**
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला– 171001 अक्तूबर, 2019

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
01 OCT 2019
शिमला–1

प्रेषित :–
1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में कक्षा पहली से वाहरवीं के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क स्कूल वर्दियों की आपूर्ति वारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे पहली से वाहरवीं कक्षा के सभी छात्र–छात्राओं को "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत निःशुल्क स्कूल वर्दियों के दो सैट एक साथ दिए जा रहे हैं। इस सन्दर्भ में आपको यह अवगत करवाया जाता है कि **"अटल स्कूल वर्दी योजना"** के अर्न्तगत कक्षा पहली से वाहरवीं तक के सभी छात्र–छात्राओं को वर्तमान में प्रदान की जा रही निःशुल्क वर्दियों की समस्त आपूर्ति हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ई–निविदा के आधार पर सम्बन्धित L-I फर्म द्वारा **पूर्ण कर ली गई है,** अतः आप स्कूल वर्दियों की **Laboratory test reports** प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र **छात्र–छात्राओं में वर्दियों का आंवटन** सुनिश्चित करें। आपको यह भी अवगत करवाया जाता है कि कक्षा पहली से दसवीं के सभी छात्र–छात्राओं को दो वर्दियों के सैटों की सिलाई हेतु मु0 200/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा (100/–प्रति स्कूल वर्दी के सैट के हिसाव से) निर्धारित सिलाई की धनराशि प्रदान करना भी सुनिश्चित करें, जिसके लिए **विभाग द्वारा दिनांक 01–08–2019 को वांछित बजट** सभी चिन्हित वर्दी प्राप्त अधिकारियों (**Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals**) को ई–वितरण (online) माध्ययम से वितरित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप कक्षा पहली से वाहरवीं तक के सभी छात्र–छात्राओं को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क स्कूल वर्दी के दो–दो सैट का शीघ्र आबंटन करना सुनिश्चित करें तथा इस के अतिरिक्त कक्षा पहली से दसवी के सभी छात्र–छात्राओं को **समस्त प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित सिलाई की धनराशि प्रदान करना भी सुनिश्चित करें।** सभी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्र–छात्राओं को सिलाई की निर्धारित धनराशि की अदायगी के APR's बनाना भी अनिवार्य होगा। यदि इस सन्दर्भ में किसी समय किसी प्रकार की वितिय अनियमितता की कोई शिकायत सरकार व विभाग के समक्ष आती है, तो उसके लिए विभाग द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कडी अनुशासनात्मक एवम् प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी जिला के उप–निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि प्रात्तकर्ता अधिकारी (**Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals**) के पास उनके अधीन पाठशालाओं से **वर्दियों की अतिरिक्त मांग(additional demand)** आती है या उनके पास

शेष वर्दियां(surplus uniform sets) प्राप्त हुई हो, तो उस स्थिति में आप अपने–अपने जिला स्तर वर्दियों का पाठशालाओं में **आन्तरिक समायोजन (internal adjustment)** करना सुनिश्चित करें। यदि उसके उपरान्त भी आपके जिला में स्कूल बर्दियों की अतिरिक्त मांग हैं तो **अतिरिक्त वर्दियों के सैटस की मांग(additional demand) इस निदेशालय को दस दिनों के भीतर भेजे** ताकि इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

(रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक अक्तूबर, 2019
प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेशित है कि वह भी इस सन्दर्भ में अपने अधीनस्थ समस्त जिला उप निदेशक (उच्च शिक्षा) एवम् समस्त शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य एवम् प्रमुखों को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें ।
3. रक्षक नस्ति।

(रोहित जमवाल, हि0प्र0से0)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001

6398

पृष्ठांकन संख्या शिक्षा-कांगड़ा(ई॰7)-अटल स्कूल वर्दी योजना/2018-19 दिनांक:18/10/2019
प्रतिलिपि मूल रूप से समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ एवम आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उपशिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
कागड़ा स्थित धर्मशाला

Scanned by CamScanner